अनुदान संख्या 101 – युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
GRANT No. 101 – MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
राजस्व:	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	2549,41,00	2754,52,00	2376,46,10	–378,05,90
पूरक	Supplementary	205,11,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				378,03,44
पूंजीगत:	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	46,73,00	46,75,00	50,00	-46,25,00
पूरक	Supplementary	2,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				46,25,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, समग्र बचतें (₹37805.90 लाख) जुलाई, 2021, दिसम्बर, 2021 और मार्च, 2022 में प्राप्त ₹20511.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक थीं और कुल स्वीकृत प्रावधान का 14 प्रतिशत थी।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹37805.90 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹20511.00 lakhs obtained in July, 2021, December, 2021 and March, 2022 and constituted 14 percent of the total sanctioned provision.

Savings/ excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2204" खेलकूद और युवा सेवाएं	Major Head "2204" Sports and Youth Services				
मू.	O.	230657.00			
पू.	S.	13092.00	234429.79	234427.34	-2.45
पु.	R.	-9319.21			
मुख्य शीर्ष "2552" पूर्वोत्तर क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	20784.00			
पू.	S.	7419.00	..	..	..
पु.	R.	-28203.00			

(I) ₹28603.00 लाख का प्रावधान (₹7419.00 लाख के पूरक अनुदान सहित) चौदह शार्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹27639.00 लाख मुख्य शीर्ष "2552'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:–

(I) Provision of ₹28603.00 lakhs (including supplementary grant of ₹7419.00 lakhs) remained wholly unutilized under fourteen heads; of these ₹27639.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" under the following heads:

(का) "खेलकूद और युवा सेवाएं – छात्रों के लिए युवक कल्याण कार्यक्रम'' –

(A) "Sports and Youth Services – Youth Welfare programme for Students" -

(क) "राष्ट्रीय सेवा योजना"– ₹1200.00 लाख (₹200.00 लाख के पूरक अनुदान सहित);

(a) "National Service Scheme" - ₹1200.00 lakhs (including supplementary grant of ₹200.00 lakhs);

(ख) "राष्ट्रीय युवा कोर"– ₹750.00 लाख।

(b) "National Youth Corps" - ₹750.00 lakhs;

(खा) "खेलकूद और युवा सेवाएं – खेल और क्रीड़ाएं'' –

(क) "राष्ट्रीय खेलकूद फेडरेशनों को सहायता" – ₹2800.00 लाख;

(ख) "भारतीय खेल प्राधिकरण"– ₹7700.00 लाख (₹1000.00 लाख के पूरक अनुदान सहित);

(ग) "लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान"– ₹900.00 लाख;

(घ) "पूर्वोत्तर में खेल विश्वविद्यालय"–₹6569.00 लाख (₹5789.00 लाख के पूरक अनुदान सहित);

(ङ) "खेलो इंडिया"– ₹4930.00 लाख (₹30.00 लाख के पूरक अनुदान सहित);

(गा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक"– अनुसूचित जातियों के विकास के लिए योजना"– ₹1040.00 लाख; और

(घा) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना –अनुसूचित जनजातियों का कल्याण – संविधान के अनुच्छेद 275(1) के प्रावधान के अंतर्गत अनुदान"– ₹1750.00 लाख (₹400.00 लाख के पूरक अनुदान सहित)।

उपर्युक्त नौ शीर्षों के अंतर्गत किया गया प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित योजनाओं पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि के अभ्यर्पण के कारण अप्रयुक्त रहा।

(B) "Sports and Youth Services – Sports and Games" -

(a) "Assistance to National Sports Federations" - ₹2800.00 lakhs;

(b) "Sports Authority of India"- ₹7700.00 lakhs (including supplementary grant of ₹1000.00 lakhs);

(c) "Laxmibai National Institute of Physical Education" - ₹900.00 lakhs;

(d) "Sports University in North East" - ₹6569.00 lakhs (including supplementary grant of ₹5789.00 lakhs);

(e) "Khelo India" - ₹4930.00 lakhs (including supplementary grant of ₹30.00 lakhs);

(C) "Special Component Plan for Scheduled Castes – Scheme for the development of scheduled castes" - ₹1040.00 lakhs; and

(D) "Tribal Area Sub-Plan - Welfare of Scheduled Tribes - Grants under Provision to article 275(1) of the Constitution" - ₹1750.00 lakhs (including supplementary grant of ₹400.00 lakhs).

Provisions under the above nine heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/ funds to functional heads for utilization on projects/ schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष "2204" के अंतर्गत प्राप्त पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के समक्ष दर्शाई सीमा तक पूरी तरह अप्रयुक्त रहाः

(II) Supplementary grant obtained under Major Head "2204" remained wholly unutilized as shown against each: -

(का) "निदेशन और प्रशासन–नेहरू युवा केंद्र संगठन"– ₹32650.00 लाख का मूल प्रावधान ₹3850.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹36500.00 लाख तक बढाया गया। तथापि, ₹4688.43 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) तकनीकी/सर्वर मुद्दों के कारण आर डी कार्यालयों को सांविधिक देय राशि के बिलों को स्वीकृत नहीं किए जाने के कारण हुई।

(A) "Direction and Administration – Nehru Yuva Kendra Sangathan" – the original provision of ₹32650.00 lakhs was augmented to ₹36500.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹3850.00 lakhs. However, there was a saving of ₹4688.43 lakhs (including supplementary grant) - due to non-clearance of bills of statutory dues to RD offices owing to technical/server issues.

(खा) "गैर छात्रों के लिए युवक कल्याण कार्यक्रम–राजीव गांधी राष्ट्रीय युवक विकास संस्थान को अनुदान"– ₹3200.00 लाख का मूल प्रावधान ₹200.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹3400.00 लाख तक बढ़ाया गया। तथापि ₹900.00 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) कोविड–19 महामारी के कारण फिजिकल कक्षायें/संगोष्ठियां आयोजित नहीं करने के कारण हुई।

(B) "Youth Welfare Programmes for Non-Students - Grants to Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development" - the original provision of ₹3200.00 lakhs was augmented to ₹3400.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹200.00 lakhs. However, there was a saving of ₹900.00 lakhs (including supplementary grant) - due to non-conduction of physical classes/seminars owing to COVID-19 pandemic.

(गा) "खेलकूद और क्रीड़ाएं – खिलाड़ियों को प्रोत्साहन"– ₹5300.00 लाख का मूल प्रस्ताव ₹243.90 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹5543.90 लाख तक बढाया गया। तथापि ₹720.25 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) खिलाड़ियों से नकद पुरस्कार के लिए कम आवेदन प्राप्त होने के कारण हुई।

(C) "Sports and Games - Incentive to Sports Persons" - the original provision of ₹5300.00 lakhs was augmented to ₹5543.90 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹243.90 lakhs. However, there was a saving of ₹720.25 lakhs (including supplementary grant) - due to receipt of less applications for cash awards from sports persons.

(III) मुख्य शीर्ष "2204" – "खेल और क्रीड़ाएं – के अंतर्गत प्राप्त पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के समक्ष दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहाः

(III) Supplementary grant obtained under Major Head "2204" - "Sports and Games" - remained unutilized under the following heads to the extent as shown against each: -

(का) "राष्ट्रमंडल खेल"– ₹3000.00 लाख का मूल प्रस्ताव ₹7000.00 लाख की पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹10000.00 लाख तक बढ़ाया गया । तथापि ₹4032.75 लाख की सीमा तक राशि वर्ष के दौरान माननीय न्यायालय के समक्ष राशि जमा करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय से निर्देश प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहे।

(A) "Commonwealth Games" - the original provision of ₹3000.00 lakhs was augmented to ₹10000.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹7000.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹4032.75 lakhs - due to non-receipt of directions from Hon'ble High Court, Delhi to deposit the money before the Hon'ble Court during the year.

(खा) "राष्ट्रीय एंटी डोपिंग अभिकरण"– ₹1000.00 लाख का मूल प्रस्ताव ₹650.00 लाख की पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹1650.00 लाख तक बढाया गया, जो तथापि ₹181.00 लाख रिक्त पदों को नहीं भरे जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(B) "National Anti-doping Agency" - the original provision of ₹1000.00 lakhs was augmented to ₹1650.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹650.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹181.00 lakhs - due to non-filling up of vacant posts.

(IV) मुख्य शीर्ष "2204" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:–

(IV) Under Major Head "2204" - savings occurred under the following heads: -

(का) "गैर छात्रों के लिए युवक कल्याण कार्यक्रम"–

(A) "Youth Welfare Programmes for Non-Students" -

(क) "राष्ट्रीय युवक कोर" ₹802.87 लाख की बचत (₹4650.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) तकनीकी/सर्वर मुद्दों के कारण आर डी कार्यालयों को सांविधिक देय राशि के बिलों के स्वीकृत नहीं होने के कारण हुई।

(a) "National Youth Corps"- saving of ₹802.87 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4650.00 lakhs) was due to non-clearance of bills of statutory dues to RD offices owing to technical/server issues.

(ख) "युवा नेतृत्व कार्यक्रम"– ₹578.17 लाख की बचत (₹884.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी और तकनीकी/सर्वर मुद्दों के कारण कम संख्या में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित होने के कारण हुई।

(b) "Young Leader Programme" - saving of ₹578.17 lakhs (against the sanctioned provision of ₹884.50 lakhs) was due to conduction of less number of awareness programs owing to COVID-19 pandemic and technical/ server issues.

(खा) "खेल और क्रीड़ाएं"–

(B) "Sports and Games" -

(क) "राष्ट्रीय खेल विकास निधि"— ₹2000.00 लाख की बचत (₹2500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड—19 महामारी के कारण कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(ख) "भारतीय खेल प्राधिकरण"— ₹1398.08 लाख की बचत (₹59341.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई ।

(ग) "खेल उत्कृष्टता के संवर्धन के लिए सहायता"— ₹7591.13 लाख की बचत (₹0.10 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹17480.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कोविड—19 महामारी के कारण खेल कार्यक्रमों और शैक्षिक कार्यकलापों के लिए कम अनुकूल परिस्थितियों और तकनीकी कारणों के कारण हुई।

(घ) "जम्मू और कश्मीर में खेल सुविधाओं का संवर्धन"— ₹3500.00 लाख की बचत (₹5000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड—19 महामारी के कारण कम निर्माण कार्य होने के कारण हुई ।

(गा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना"—

(क) खेल और युवक सेवायें —छात्रों के लिए युवक कल्याण कार्यक्रम"— ₹708.87 लाख की बचत (₹4000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड—19 महामारी के कारण कार्यक्रम, संगोष्ठियां, विशेष कार्यकलाप, प्रशिक्षण आदि आयोजित नहीं होने के कारण हुई।

(a) "National Sports Development Fund" - saving of ₹2000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2500.00 lakhs) was due to receipt of less proposals owing to COVID-19 pandemic.

(b) "Sports Authority of India" – saving of ₹1398.08 lakhs (against the sanctioned provision of ₹59341.00 lakhs); and

(c) "Assistance to Promotion of Sports Excellence" - saving of ₹7591.13 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹17480.10 lakhs including token supplementary grant of ₹0.10 lakh).

Savings under the above two heads were due to conduction of less sports activities, academic activities owing to COVID-19 pandemic and technical issues.

(d) "Enhancement of Sports Facility at J&K" - saving of ₹3500.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5000.00 lakhs) was due to less construction activities owing to COVID -19 pandemic.

(C) "Special Component Plan for Scheduled Castes" –

(a) "Sports and Youth Services - Youth Welfare Programmes for Students" - saving of ₹708.87 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4000.00 lakhs) was due to non-conduction of programmes, seminars, special activities, trainings etc. owing to COVID-19 pandemic.

(ख) "खेल और युवक सेवायें–खेल और क्रीड़ाएं" ₹3025.00 लाख की बचत (₹17550.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारतीय खेल प्राधिकरण और पूर्वोत्तर राज्यों से कोई व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

(b) "Sports and Youth Services - Sports and Games" - saving of ₹3025.30 lakhs (against the sanctioned provision of ₹17550.00 lakhs) was due to non-receipt of viable proposals from Sports Authority of India and North Eastern States.

(V) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹715.31 लाख की बचत हुई जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक और स्वीकृत प्रावधान का 30 प्रतिशत और 96 प्रतिशत थी ।

(V) Under two heads savings of ₹715.31 lakhs occurred each exceeding ₹250.00 lakhs and constituting 30 percent and 96 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान बढाने के लिए आंशिक रूप से (₹20398.05 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि जुलाई, 2021 में मुख्य शीर्ष "2204"–"खेल और क्रीड़ाएं" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत ₹4372.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

2.(I) The above savings were partly (₹20398.05 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹4372.00 lakhs in July, 2021 under Major Head "2204" - "Sports and Games" – under the following heads:

(का) "पूर्वोत्तर में खेल विश्वविद्यालय"– ₹6456.59 लाख ।

(A) "Sports University in North East" - ₹6456.59 lakhs.

(खा) "खेलो इंडिया"– ₹13941.46 लाख

(B) "Khelo India" - ₹13941.46 lakhs.

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "2204"–"छात्रों के लिए युवक कल्याण कार्यक्रम–एनएसएस के कार्यान्वयन के लिए अनुदान के अंतर्गत पूर्वोत्तर और सिक्किम के लाभ से संबंधित योजनाओं पर उपयोग के लिए निधियों के मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को पुनर्विनियोग के कारण ₹2611.93 लाख के अधिक व्यय (₹8145.00 लाख के स्वीकृत प्रवधान की तुलना में) द्वारा प्रतिसंतुलित हुईं।

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "2204" – "Youth Welfare Programmes for Students – Grants for Implementation of NSS" – excess of ₹2611.93 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8145.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/ schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईः

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major head: -

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "4552" पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	4350.00	..	..	..
पु.	R.	-4350.00			

(I) ₹4423.00 लाख का प्रावधान तीन शीर्षों के अंतर्गत पूरी तरह अप्रयुक्त रहा; इसमें से ₹4300.00 लाख अकेले मुख्य शीर्ष "4552"–"शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति–अन्य व्यय –पूर्वोत्तर में खेल विश्वविद्यालय"–पर पूंजीगत परिव्यय"–कोविड–19 महामारी के कारण तकनीकी अनुपूर्ती के जरिये राजस्व मांग को निधियां अंतरित किए जाने के कारण हुआ।

(I) Provision of ₹4423.00 lakhs remained wholly unutilized under three heads; of these ₹4300.00 lakhs alone accounted for under Major Head "4552" - "Capital Outlay on Education Sports, Art and Culture - Other Expenditure - Sports University in North East" - due to funds transferred to Revenue Section through Technical Supplementary.